कार्यालय अधिष्ठाता, पं. ज. ने. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय
रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्रमांक /चिकि/छात्र/ रायपुर, दिनांक

आदेश

मानव अधिकार आयोग, छत्तीसगढ़ तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर की गई अनुशंसाओं तथा मार्गदर्शी निर्देशें के परिपालन में पं. जवाहर लाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (स्वशासी संस्था) में तत्काल प्रभाव से रैगिंग की रोकथाम तथा अनुशासन बनाए रखने के लिए निम्नानुसार विभिन्न समितियों का गठन किया जाकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया जाता है ।

एंटी रैगिंग समिति :

अधिष्ठाता		:	अध्यक्ष
संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक		:	सदस्य
समस्त विभागाध्यक्ष		:	सदस्य
चीफ वार्डन	डॉ.ए.एस.दाउ	:	सदस्य सचिव
स्नातकोत्तर छात्रावास अधीक्षक	डॉ. एम.एल.गर्ग	:	सदस्य
छात्रा छात्रावास अधीक्षक	डॉ. रेणुका गहिने	:	सदस्य
सहायक छात्रावास अधीक्षक	डॉ. सत्येन्द्र फूलझेले	:	सदस्य
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रायपुर	श्री एच.आई खान	:	सदस्य
एस.डी.एम. सिटी रायपुर	श्रीमती जयश्री जैन	:	सदस्य
प्राचार्य फिजियोथेरापी रायपुर	डॉ. प्रफुल्ल वाणी	:	सदस्य
शास.फिजियोथेरापी	डॉ. रानू मिश्रा	:	सदस्य
फिजियोथेरापी	डॉ. तोमेश देवांगन	:	सदस्य
प्रेस क्लब रायपुर	श्री अनिल पुसत्दकर	:	सदस्य

जूनियर डाक्टर एसोसिएशन

अध्यक्ष	डॉ. चन्दन सिंह कंवर	:	सदस्य (9993703304)
सचिव	डॉ. सौरभ भांडगे	:	सदस्य (7869635344)

स्नातक छात्रसंघ

अध्यक्ष	सौरभ पाण्डे
उपाध्यक्ष	कु. मेघा सिंघानिया

सचिव	आकाश सिंह राणा
संयुक्त सचिव	

<u>कक्षा प्रतिनिधि</u>

अंतिम वर्ष	राहुल सिंघला
चतुर्थ वर्ष	परिधि जैन
तृतीय वर्ष	विवेक कौशिक
द्वितीय वर्ष	–
प्रथम वर्ष	सौमित्र चक्रवर्ती

वरिष्ठ छात्र छात्रावास (खण्ड अनुसार)

प्रीफेक्ट	–	ए. प्रशांत
सहायक प्रीफेक्ट	–	रवि शुक्ला
खण्ड अ (01 से 13)	–	शीतल दास
खण्ड ब (14 से 26)	–	प्रशांत जायसवाल
खण्ड स (27 से 39)	–	अमित बंजारे
खण्ड द (40 से 52)	–	नरेन्द्र कर्ष

कनिष्ठ छात्र छात्रावास (खण्ड अनुसार)

प्रीफेक्ट	–	आदित्य साहू
सहायक प्रीफेक्ट	–	हेमंत चन्देल
खण्ड अ (01 से 13)	–	प्रभु नारायण प्रधान
खण्ड ब (14 से 26)	–	राजेश राम टेके
खण्ड स (27 से 39)	–	अंकित गुप्ता
खण्ड द (40 से 52)	–	प्रेम साई तिर्की

छात्रा छात्रावास

प्रीफेक्ट	–	अंजलि भारद्वाज
सहायक प्रीफेक्ट	–	उषा किरण कुर्रे
	–	

पुराना छात्रा छात्रावास (खण्ड अनुसार)

खण्ड अ (01 से 13)	कु. सीता पैकरा
खण्ड ब (14 से 26)	कु. दुर्गा कौशिक

खण्ड स (27 से 39) कु. पारूल दुबे
खण्ड द (40 से 52) कु. सौम्या अग्रवाल

नया छात्रा छात्रावास (खण्ड अनुसार) स्नातकोत्तर छात्रा प्रतिनिधि

खण्ड अ कु. अंजना चन्द्राकर
खण्ड ब कु. साक्षी ठाकुर
खण्ड स कु. श्रद्धा चन्द्राकर
खण्ड द कु. सोनम सिन्हा

एंटी रैगिंग समिति के कार्य :

कक्षा तथा छात्रावास प्रतिनिधि समय समय पर वरिष्ठ, कनिष्ठ छात्र छात्राओं को समझाईश देंगे वांछित मार्गदर्शन करेंगे तथा सामंजस्य स्थापित करेंगे । अनुशासन बनाए रखने में सहायता करेंगे ।

रैगिंग के रोकथाम हेतु प्रयासों से सहयोग देंगे, रैगिंग होने की संभावना अथवा रैगिंग होने की सूचना तत्काल प्रदान करेंगे ।

सभी विभागाध्यक्ष स्वयं तथा अपने अधिनस्थ अध्यापकों के सहयोग से ऐसी व्यवस्था करेंगे कि छात्र छात्राएं अपने पठन पाठन प्रशिक्षण में व्यस्त रहकर पाठ्योत्तर, शैक्षणिक तथा खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेंगे । समिति छात्र छात्रओं को अपेक्षित मार्गदर्शन देंगे, ताकि वे भ्रमित न हो । समिति ऐसे छात्र छात्राओं की सूची रखेगी जो पूर्व में रैंगिक, अनुशासनहीनता तथा अन्य अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे या जिनके द्वारा ऐसा करने की संभावना हो सकती है, उन पर विशेष निगरानी रखेगी । समिति अनुशासनहीनता तथा रैगिंग के प्रकरण अनुशासन समिति के समक्ष कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगी । समिति कार्ययोजनानुसार कार्य करेगी तथा कार्ययोजना को लागू करेगी ।

कार्ययोजना:

1. महाविद्यालय। छात्रावासों में रैगिंग से संबंधी शिकायत हेतु पत्र पेटी की व्यवस्था की गई है ।
2. रैगिंग की शिकायत हेतु दूरभाष नं. निम्नानुसार है:

   कार्यालयीन समय में :

   अधिष्ठाता 2525602, 2523919

   अकार्यालयीन समय में:

   अधिष्ठाता निवास 0771-2282421
   मो.94255-11919
3. कार्यालय समय में : कार्यालय निवास

   संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक : 0771-2888481, 0771-2883030
   मोबाईल - 98260-64727

4.	डॉ. ए.दाऊ	98271-46171
	स्नातक छात्रा छात्रावास	2524254
	अधीक्षक निवास	
	स्नात्कोत्तर/स्नातक छात्रा छात्रावास	2526171
	अधीक्षक निवास	2525875
	छात्र छात्रावास सहायक अधीक्षक निवास	2521600
5.	हेल्पलाईन	1800-180-5522

6. महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाले छात्रों हेतु गणवेश की अनिवार्यता नहीं है । वे सामान्य गणवेश में आएंगे, कोई उन्हें विशेष गणवेश में आने हेतु बाध्य नहीं करेगा । ऐसा करने वालों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
7. महाविद्यालय में प्रथम वर्ष में प्रवेश पाने वाले छात्रों का वरिष्ठ छात्रों से परिचय सम्मेलन का आयोजन प्रवेश के एक माह के भीतर किया जावेगा। जिसमें महाविद्यालय के समस्त विषयों के शिक्षक व छात्र संघ के पदाधिकारी भी उपस्थित रहेंगे ।
8. महाविद्यालय प्रशासन, स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करवाएगा, जिससे नवीन प्रवेश करने वाले छात्रों को रैंगिग का डर न रहे एवं वे निश्चिंत होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें ।
9. महाविद्यालय के छात्रावासों में निवासरत अधिकृत छात्रों/छात्राओं।कर्मचारियों के अलावा समस्त बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है ।
10. रैंगिग रोकथाम की दृष्टि से यदि छात्रावासों की आंतरिक व्यवस्था की कोई फेरबदल करना आवश्यक हो तो उचित कार्यवाही की जावेगी ।
11. छात्रावास अधीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे मुख्यालय छोड़ने के पहले अपना प्रभार दूसरे अधीक्षक को सौंपकर सूचना अधिष्ठाता को देंगे ।
12. महाविद्यालय तथा परिसर में रैंगिग के संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर उनका समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा एवं सतत् निगाह रखी जावेगी।
13. शहर में ऐसे स्थान जहां प्रथम वर्ष के दूसरे शहरों से आए छात्र निवास कर रहें हैं, उन्हें चिन्हित कर सूची बनाई जाएगी, एवं उन स्थानों की निगरानी हेतु जिला एवं पुलिस प्रशासन को सूचित किया जावेगा ।
14. महाविद्यालय के सभी छात्रों को रैगिंग में परोक्ष अपरोक्ष रूप से संलिप्त नहीं होना है, हेतु निर्देशित किया जावेगा ।
15. महाविद्यालय के समस्त विभाग प्रमुखों को निर्देश जारी किये जावेंगे कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके विभागीय परिसर, प्रयोगशालाओं, व्याख्यान कक्ष आदि में महाविद्यालय के स्नातक।स्नात्कोत्तर छात्र।छात्राओं द्वारा कनिष्ठ छात्रों की रैगिंग न ली जावें, तथा वे ऐसी घटनाओं की रोकथाम हेतु पूर्णतः जिम्मेदार होंगे ।

16. प्रथम वर्ष मे प्रवेश लेने वाले छात्रों से पूर्व के समान वचनपत्र भराया गया है कि वे अनुशासन का पालन करेंगे, तथा प्रतिज्ञा करेंगे कि रैगिंग नहीं लेंगे और न ही इसमें परोक्ष व अपरोक्ष रूप से भाग लेंगे ।
17. महाविद्यालय।छात्रावास परिसर के बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से तथा निर्विवाध रूप से जारी रखने तथा सुधार कार्य के लिए छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल के अधीक्षण यंत्री से पत्र व्यवहार किया जाकर सुनिश्चित किया जावेगा कि परिसर में अंधकार न रहे ।
18. महाविद्यालय/छात्रावास के आसपास के क्षेत्रों से चाय पान इत्यादि दूकानों को हटाने के लिए शहर के अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी को पत्र लिखा जावेगा तथा इस कार्य में महापौर।प्रशासक नगर निगम को सहयोग हेतु लिखा जावेगा।
19. छात्र/छात्रा छात्रावास के आसपास के इलाकों में असामाजिक तत्वों का बोलबाला ज्यादा है, जिससे कि नवीन प्रवेशित छात्रों को प्रतिवर्ष खतरा बना रहता है । इन तत्वों पर उचित नियंत्रण करने हेतु पुलिस अधीक्षक से सहयोग लिया जावेगा ताकि छात्र छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
20. प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के प्रवेश के समय से रैगिंग रोकथाम हेतु बनी समिति की सप्ताहिक बैठक प्रति सोमवार (प्रथम तिमाही) कांफ्रेस हॉल में 3:30 बजे अपरान्ह आयोजित की जावेगी तथा प्रकरणों की व्यवस्था की समीक्षा की जावेगी ।
21. प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के अभिभावकों को एंटी रैगिंग हेतु निर्मित समितियों की सूची उनके सदस्यों के दूरभाष नम्बर।निवास का आदि से अवगत कराया जावेगा ।
22. सम्पूर्ण सत्र के दौरान अधिष्ठाता समय समय पर व्यवस्था का निरीक्षण एवं समीक्षा करेंगे ।
23. प्रतिमाह रैगिंग संबंधी घटनाओं की जानकारी संचालक, चिकित्सा शिक्षा को प्रेषित की जावेगी ।
24. प्रथम वर्ष की कक्षाओं में वरिष्ठ छात्र छात्राओं का प्रवेश वर्जित रहेगा। (बैच का विलियन कर पठन पाठन प्रशिक्षण के अतिरिक्त)
25. चिकित्सालय में कार्यरत पुलिस चौकी के सुदृढीकरण तथा उनके द्वारा भी कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा रैगिंग के रोकथाम के लिए सतत् जागरूक रहने तथा कार्यवाही करने के लिए पुलिस एवं जिला प्रशासन से चर्चाकर आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने हेतु निवेदन किया जावेगा ।

–आदेशानुसार